



कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़।

(अ0ज0जा0,अ0जा0,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)



-: घंटी आधारित (अंशकालीन) शिक्षक चयन हेतु आम सूचना :-

विज्ञापन संख्या :- 02/2026

पाकुड़ जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत Service Procurement के आधार पर घंटी आधारित (अंशकालीन) शिक्षकों से कार्य लिए जाने हेतु चयन किया जाना है। जिसमें तत्कालीन रूप से घंटी आधारित (अंशकालीन) शिक्षक की व्यवस्था किया जाना है, जिसके लिये निम्नांकित पद हेतु योग्य उम्मीदवारों से दिनांक-27.10.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

विद्यालयवार एवं विषयवार स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हेतु रिक्त पद की विवरणी (अनारक्षित) :-

क्र0	पद का नाम	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, हिरणपुर, पाकुड़।	कुल पद की संख्या
1	हिन्दी	01	01
2	संस्कृत	01	01
3	गणित (गणित एवं भौतिकी)	01	01
4	विज्ञान (रसायन एवं जीवविज्ञान)	01	01
5	इतिहास एवं नागरिक शास्त्र	01	01
6	भुगोल	01	01
7	अर्थशास्त्र	01	01
8	शारीरिक शिक्षक	01	01
कुल -			08

1. स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

- संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ चार वर्षीय एकीकृत स्नातक बी0एड0 अथवा संबंधित विषय में तीन वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बी0एड0 होना आवश्यक है।
- CBSE द्वारा आयोजित S-TET/C-TET पत्र-2 (कक्षा VI-VIII) उत्तीर्णता आवश्यक है।

2. इंटर प्रशिक्षित शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

- मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ 10+2 उत्तीर्णता एवं डी0एल0एड0/डी0एड0 होना आवश्यक है।
- CBSE द्वारा आयोजित S-TET/CTET पत्र-1 (कक्षा I-V) उत्तीर्णता आवश्यक है।

विद्यालयवार इंटर प्रशिक्षित शिक्षक हेतु रिक्त पदों की विवरणी (आरक्षित) :-

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	रिक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षक
1	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय हिरणपुर, पाकुड़।	02
2	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय कुंजबोना, लिट्टीपाड़ा।	03
3	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय डुमरचीर, आमड़ापाड़ा।	02
कुल -		07

3. आरक्षण संबंधी विवरणी :-

क्र0	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1	02	02	01	01	01

4.. शिक्षकों के अंशकालीन सेवा प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया एवं शर्तें होगी :-

- आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक, अन्य प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की स्वः अभिप्रमाणित प्रति निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ के कार्यालय में दिनांक-27.10.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

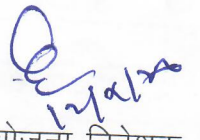
- अंशकालीन सेवा प्राप्ति हेतु 06 (छः) माह के लिए योग्यताधारी युवक/युवतियों की सेवा मानदेय पर लिए जाने हेतु चयन किया जायेगा।
- आवश्यकतानुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 06 (छः) माह के लिए प्रति घंटी के आधार पर रखा जायेगा।
- सेवा संतोषप्रद होने पर आवश्यकतानुसार उन्हें पुनः 06 (छः) माह के लिए रखा जायेगा।
- शिक्षकों से कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जायेगा, जिसमें उसी ग्राम/पंचायत/प्रखण्डों के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ी वर्ग के शिक्षण कार्य का अनुभव प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में सरकार के आरक्षण का अनुपालन भी किया जायेगा।
- उक्त समिति द्वारा चयन के दौरान प्रखण्ड में अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाये जाने के स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से इसका चयन कर भरा जायेगा।
- उपरोक्त पदों के लिए पाकुड़ जिले के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं।
- योग्य अभ्यर्थी की सेवा लिये जाने हेतु आवश्यकतानुसार विषय के आधार पर चयन किया जायेगा।
- शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर तैयार मेधा क्रम के आधार पर उपर्युक्त शर्तों पर पूरी तरह अस्थायी रूप से कमिटी द्वारा चयन किया जायेगा।
- चयनित शिक्षकों के साथ **MOU** किया जायेगा।

5. सुविधा एवं शर्तें :-

- अंशकालीन सेवा हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- चयनित शिक्षक किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
- चयनित शिक्षकों को विद्यालय में आवासन की सुविधा नहीं की जायेगी।
- चयनित शिक्षकों को दैनिक उपस्थिति के आधार पर किये गये अध्यापन कार्य के आधार पर वृत्तिका का भुगतान किया जायेगा।

6. अन्य आवश्यक शर्तें :-

- एकरारनामे की शर्तों के विचलन की स्थिति में या असंतोषप्रद कार्य की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है इस पर भविष्य में किसी भी स्थायी या अन्य प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
- अतः उपर्युक्त शर्तों के अधीन प्रथम चरण में छः माह के लिए कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य हेतु PG/Graduate/B.ed या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों की सेवा- 400/- (चार सौ) मात्र प्रति घंटी अधिकतम चार घंटी एक कार्य दिवस एवं सप्ताह में पाँच कार्य दिवस तक कार्य लिया जायेगा।
- उक्त छः माह की अवधि में शिक्षक नियुक्ति पूर्ण नहीं हो पाने की स्थिति में पुनः अगले छः माह तक कार्य लिया जायेगा।
- विज्ञापन के आधार पर किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी/समिति द्वारा लिया जायेगा।



परियोजना निदेशक,

आई0टी0डी0ए0

-सह-

जिला कल्याण पदाधिकारी

पाकुड़।